उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़

अनुज्ञप्ति रद्द अपील– 14/2013
भुनेश्वर महतो बनाम् राज्य

	–: आदेश :–
29.10.13	यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के ज्ञापांक– 104/आ0, दिनांक 18.03.2013 के द्वारा श्री भुनेश्वर महतो, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, चित्तरपुर पंचायत, चित्तरपुर (पूर्वी), अनुज्ञप्ति संख्या– 16/94 का अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने के आलोक में अपील दाखिल किया गया है। अपीलार्थी का कहना है कि प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, माण्डू/रामगढ़ के द्वारा दिनांक 29.12.2012 को थाना प्रभारी, रजरप्पा के साथ मेरे घर पर छापामारी किया गया। जिसमें विभिन्न प्रकार का आरोप मुझ पर लगाया गया है, जो बेबुनियाद है क्योंकि मैं और मेरी पत्नी शादी के कार्यक्रम में अपने रिस्तेदार के यहाँ गये हुए थे। घर पर मेरी बच्ची संजु कुमारी थी। बच्ची जब दुकान खोली तो देखी की चावल का बोरा सब भींगा हुआ है। परन्तु आँगन पर पानी का टंकी था, जो भरकर पानी दुकान पर प्रवेश कर रहा था, बच्ची बगल के लोगों को बुलाकर प्लास्टिक बोरा में पल्टी करवा रही थी। अपीलार्थी घर पर नहीं रहने के कारण असमाजिक तत्व के लोगों द्वारा प्रशासन को सूचना देकर मेरे घर पर जाँच करवा दिया गया। परन्तु चावल को काला बाजारी के रूप में नहीं बल्की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पल्टी किया जा रहा था। अपीलार्थी के विरूद्ध लगाया गया आरोप बनावटी है। अन्त में अनुरोध किया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय। अपीलार्थी के लिखित कथन निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि दिनांक 29.12.2012 को प्रभारी प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी, माण्डू/रामगढ़ के द्वारा थाना प्रभारी, रजरप्पा के साथ श्री भुनेश्वर महतो, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, चित्तरपुर पंचायत, चित्तरपुर (पूर्वी) के घर में छापामारी के दौरान अपीलार्थी के घर से जूट के बोरे में F.C.I. का टैग लगा हुआ 96 बैग चावल (प्रति बैग 50 किलो) तथा 56 बैग चावल जिसपर हिरण ब्राण्ड अंकित था (प्रति बैग अनुमानित 50 किलो) एवं 60 खुला पीला बैग चावल (प्रति बैग अनुमानित 50 किलो) जिसपर भी हिरण ब्राण्ड छपा था। कुल 212 बैग चावल कालाबाजारी के नियम से रखा हुआ था। अपीलार्थी उस समय अनुपस्थित थे। उस समय उपस्थित अपीलार्थी की पुत्री संजु कुमारी के द्वारा चावल से सम्बन्धित किसी प्रकार का कागजात नहीं दिखाया गया। चावल की कालाबाजारी के आरोप में रजरप्पा थाना काण्ड संख्या– 100/2012 दर्ज किया गया।

सरकार के सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक– 463/राँची, दिनांक 09/02/2013 के द्वारा जन वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने एवं वितरण व्यवस्था की निगरानी करने के सम्बन्ध में दिये गए निर्देश के कंडिका 2(4) में उल्लेख है कि ''जन वितरण प्रणाली के दुकानदार यदि कालाबाजारी में लिप्त रहते हों तथा खाद्यान्न आदि को खुले बाजार में बेचते हों''।

अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के द्वारा सरकार द्वारा दिये गए उक्त निर्देश के आलोक में चावल की कालाबाजारी में लिप्त रहने के कारण अपीलार्थी श्री भुनेश्वर महतो, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, चित्तरपुर पंचायत, चित्तरपुर (पूर्वी), अनुज्ञप्ति संख्या– 16/94 को रद्द किया गया है।

अपीलार्थी यह प्रमाणित करने में असफल रहे कि उनके द्वारा बैद्य कागजातों के आधार पर चावल का भण्डारण किया हुआ था। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय के आदेश से असहमत होने का विधि संगत कारण प्रतीत नहीं होता है।

फलतः निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त, रामगढ़।	उपायुक्त, रामगढ़।